कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर।

संख्या 1650 /13–आपदा/2015

दिनॉक 18 नवम्बर, 2015

अल्पकालिक निविदा सूचना

सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ के पत्र संख्या 1092/1–10–2014–12(34)/03टी.सी.–1 दिनांक 04.11.2015 द्वारा जनपद गाजीपुर में अत्यधिक ठंड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के लिये कम्बल क्रय करने हेतु का धनावंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें अनुमानित 7000 कम्बल क्रय किया जाना है। आवश्यकतानुसार कम्बल की संख्या घट–बढ़ सकती है।

क्रय किये जाने वाले कम्बल की निर्धारित दर रू. 500/– से अधिक नहीं होगा तथा कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 सेंटीमीटर, चौड़ाई कम से कम 140 सेन्टीमीटर तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिये। कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत उन तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

आपूर्ति संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिसपर सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा तथा यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सहयोग से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो विक्रय के लिये नहीं है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या – 3/2015/618/18–2–2015–12(एस0पी0)/2010 दिनांक 12 अगस्त, 2015 जोकि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वायत्त शासी संस्थाओं (जिन्हें आगे क्रेता एजेन्सी कहा गया है, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणिक संस्थाओं, श्री गांधी आश्रम तथा उत्तर प्रदेश हस्त शिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) से कम्बल क्रय करने हेतु दिनांक 26.11.2015 तक अपरान्ह 4.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है।

यह निविदा दिनांक 26.11.2015 को नीचे दी गयी शर्तो के आधार पर उपस्थित निविदाकारों एवं क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), गाजीपुर के कार्यालय में सायं 5.00 बजे खोली जायेगी।

शर्त :

1. क्रय किये जाने वाले कम्बल का परीक्षण क्रय समिति द्वारा की जायेगी, जिसे निविदादाता को मानना अनिवार्य होगा।
2. कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से गुणवत्तापूर्ण कम्बल का आपूर्ति करना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को दो कम्बल मानक के अनुसार सैम्पुल में निविदा डालते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रपत्र दिनांक 21.11.2015 से दिनांक 23.11.2015 तक कार्यालय दिवस में समय 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक निविदाकारों द्वारा निर्धारित मूल्य जमा करके आपदा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(नरेन्द्र सिंह पटेल)
जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अल्पकालिक निविदा का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व दैनिक जागरण में कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।